IN THE COURT OF MUNSIF, GOGRI
T.S- 11/2018

ORDER **09/01/2024**	वादी की हाजिरी हैं। प्रतिवादी अनुपस्थित है। वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वाद आज वादी के आवेदन दिनांक–31.03.2023 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी आवेदन दिनांक–31.03.2023 के माध्यम से निवेदन करते है कि वादी के वाद पत्र में लिपिकिय भूल के कारण कुछ तथ्य अंकित होने से छूट गए जो निम्नलिखित हैः– (a)पारा सं0–4, पेज सं0–3 के अंत में "It is Submitted that out of said total area 1 Bigha 4 Katha land acquired by the Government for the construction of N.H. 31 and only 13 Katha land remained in said Jamabandi No.15" (b) पेज सं0–3 के पारा सं0–5 के अंत में the father of Plaintiff got only 4 Katha 7 dhoor as per his share in said remaining land. (c) पारा सं0–6 के द्वितीय पंक्ति में Sold के पश्चात "through sale deeds sold their entire share" एवं उसी पंक्ति में Sold के पश्चात "3 Katha 10 dhoor land from" (d) पारा सं0–6 के तीसरी पंक्ति में Kewala के पश्चात "nos 1769, 1770, 3248, एवं 2456". वादी अपने वाद–पत्र में उपरोक्त छूटे तथ्यों को जोड़ने हेतु अनुमति का निवेदन करते हुए कथन करते है कि उपरोक्त वर्णित संशोधन साधारण प्रकृति के हैं। जिससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी द्वारा उक्त संशोधन वाद में होना न्याहित में है। क्योंकि सही तथ्यों का वाद में आना आवश्यक है। अतः वादी के संशोधन आवेदन दिनांक–31.03.2023 को मो0 1500/– (एक हजार पांच सौ) रूपये शुल्क पर जो वादी द्वारा विधिक संध, गोगरी मे देय होगा के शर्त पर स्वीकृत किया जाता हैं। वादी शुल्क जमा करने के पश्चात अपने वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित संशोधन करें। वाद दिनांक–10.01.2024 वास्ते साक्ष्य। लेखापित मुंसिफ	